भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2885

उत्तर देने की तारीख: 10.03.2026

वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

2885. श्री जगदम्बिका पाल:

श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए कार्यान्वित किए जा रहे समर्पित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस हेतु एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई), अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) जैसी प्रमुख योजनाओं और माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्रावधानों का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान देश में और हिमाचल प्रदेश में जिला-वार प्राप्त की गई उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार बुजुर्गों के लिए सुलभ और किफायती देखभाल सुनिश्चित करने के लिए एनपीएचसीई इकाइयों, जराचिकित्सा ओपीडी, डे-केयर सेंटरों और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं सहित जराचिकित्सा देखभाल सुविधाओं का विस्तार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के समन्वय से प्रशिक्षित परिचारकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जराचिकित्सा देखभाल, जराचिकित्सा विज्ञान और वृद्धजन - परिचर्या को विशेष शैक्षिक या व्यावसायिक स्ट्रीम के रूप में मान्यता देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों में वृद्धजनों के अनुकूल अवसंरचना, पेंशन, कौशल कार्यक्रमों और वृद्धजन हेल्पलाइन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ङ): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय देश भर में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) नामक एक व्यापक योजना लागू कर रहा है। योजना का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) का विस्तार किया, ताकि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का नि:शुल्क स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जा सके, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए "राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम" (एनपीएचसीई) भी कार्यान्वित कर रहा है। एनपीएचसीई का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का कार्यान्वयन करता है जिसके तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता दी जाती है। एनएसएपी का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

वित्तीय सेवाएं विभाग अटल पेंशन योजना (एपीवाई) लागू कर रहा है। योजना के अनुसार, अंशधारकों (18-40 वर्ष की आयु) को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, उनकी मृत्यु तक, चुने गए योगदान के स्तर के आधार पर मासिक पेंशन प्राप्त होगी। एपीवाई का विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि 'भूमि' और 'कॉलोनाइजेशन' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 18 के अंतर्गत आते हैं और इस प्रकार यह विषय राज्य सरकारों की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है। तथापि, एक समान ढांचा उपलब्ध कराने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा रिटायरमेंट होम्स के विकास और विनियमन के लिए मॉडल दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और परिचालित किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करना है ताकि इन रिटायरमेंट होम्स में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए अपने संबंधित विधानों और विनियमों में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल किया जा सके।

इसके अलावा, संसद द्वारा अधिनियमित रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) का उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ावा देना है। रेरा के प्रावधान पूरी तरह से रिटायरमेंट होम्स पर लागू होते हैं, उन्हें अन्य रियल एस्टेट परियोजनाओं के बराबर माना जाता है। यह डेवलपर्स द्वारा उल्लंघन या कदाचार से वरिष्ठ

नागरिकों और अन्य कमजोर निवासियों सहित घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, रेरा ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा लागू मानदंडों और स्थानीय कानूनों का कड़ाई से अनुपालन अनिवार्य करता है।

(ख): देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान और हिमाचल प्रदेश राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) और राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई), जो एवीवाईएवाई योजना के घटक हैं, की योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां **अनुलग्नक-V** में दी गई हैं।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 7 और 15 के अनुसार, राज्य सरकारों को भरण-पोषण अधिकरणों और अपीलीय अधिकरणों का गठन करने का अधिदेश दिया गया है। राज्यों में प्राप्त और निपटाए गए मेन्टेनेंस के आवेदनों और अपीलों का राज्य-वार ब्यौरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय अपने राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई) के अंतर्गत सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करता है। कार्यक्रम के तहत समर्पित वृद्धावस्था देखभाल सेवाओं को देश भर में उत्तरोत्तर बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त, जनशक्ति विकास और अनुसंधान कार्यकलापों के साथ-साथ यूरोलॉजी, अस्थि रोग, नेत्र विज्ञान आदि जैसी विभिन्न विशिष्टताओं में निर्धारित बिस्तरों सहित विशेष ओपीडी और इन-पेशेंट वार्डों के रूप में एनपीएचसीई के अंतर्गत तृतीयक देखभाल सेवा उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय वृद्धावस्था देखभाल केन्द्रों (आरजीसी) को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र (एनसीए) भी स्थापित किए गए हैं और वृद्धावस्था देखभाल सेवाओं के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एवीवाईएवाई का एक घटक, 'सिस्टम ऑफ़ प्रोवाइडिंग एल्डर केयर (इन-हाउस) एंड असिस्टेड लिविंग (पीएम-स्पेशल)' नाम की एक स्कीम लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य वृद्धावस्था देखभाल के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के बीच के गैप को कम करना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को ज़्यादा प्रोफेशनल सर्विस दी जा सके और वृद्धावस्था देखभाल के क्षेत्र में प्रोफेशनल देखभालकर्ताओं का एक कैडर भी बनाया जा सके। इस योजना घटक के तहत अब तक कुल 35,480 वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है।

अनुलग्नक-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2885 जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ङ) में संदर्भित अनुलग्नक

एवीवाईएवाई योजना के तहत घटकों का विवरण इस प्रकार है-

i. **आईपीएसआरसी (एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम)** - आईपीएसआरसी के तहत, वरिष्ठ नागरिक गृहों, सतत देखभाल गृहों, मोबाइल मेडिकेयर इकाइयों और फिजियोथेरेपी क्लीनिकों के रखरखाव के लिए संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हुए तथा उपयोगी और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करते हुए उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। विभाग ने वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए न्यूनतम मानक भी तैयार किए हैं जो पूरे देश में सभी वरिष्ठ नागरिक गृहों में सुलभ बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं।

ii. **एसएपीएसआरसी (वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना)** - भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका मानती है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं और अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपनी स्वयं की राज्य कार्य योजनाएं तैयार करें। एसएपीएसआरसी के तहत, यह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां जारी करता है। एसएपीएसआरसी को वित्त वर्ष 2019-20 से लागू किया जा रहा है।

iii. **आरवीवाई (राष्ट्रीय वयोश्री योजना)** - इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे वरिष्ठ नागरिकों और जिनकी पारिवारिक आय 15,000/- रुपये प्रति माह से अधिक नहीं है के लिए शारीरिक सहायता उपकरण और जीवन सहायक यंत्र प्रदान करना है। यह योजना 2017 से लागू की जा रही है।

iv. **एल्डरलाइन-** वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन (14567) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किए जा रहे विभिन्न अधिनियम, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करता है और देश भर में वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए मंच प्रदान करता है।

v. **वृद्धावस्था की देखभाल (घर में) और सहायक जीवन प्रदान करने की प्रणाली (पीएम-स्पेशल)** - इसका मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था की देखभाल करने वालों के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को पाटना है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक प्रोफेशनल सेवाएं प्रदान की जा सकें और वृद्धावस्था के क्षेत्र में प्रोफेशनल तरीके से देखभाल करने वालों का एक कैडर भी बनाया जा सके।

vi. **वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्य पहल-** वृद्धावस्था को स्वाथ्यकर और उपयोगी बनाने के लिए देश भर में कई पहलें की जा रही हैं। प्रस्तावित पहलों का उद्देश्य ज्ञानवर्धन के क्षेत्र में वृद्धजनों को शामिल करना है जो समग्र रूप से समाज के लिए उपयोगी हो सकता है।

vii. **सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (सेज) –** इसका मुख्य उद्देश्य आमतौर पर सामने आ रही समस्याओं के लिए असाधारण और अभिनव समाधानों को बढ़ावा देना है। इसके लिए अभिनव स्टार्ट-अप की पहचान की जाती है और उन्हें वृद्धजनों के कल्याण के लिए उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2885 जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ङ) में संदर्भित अनुलग्नक

एनपीएचसीई सरकार की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की अभिव्यक्ति है, जैसा कि दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी), 1999 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई वृद्धजनों पर राष्ट्रीय नीति (एनपीओपी) और "माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम", 2007 की धारा 20 के तहत परिकल्पित है। एनपीएचसीई का उद्देश्य वृद्धजनों को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दीर्घकालिक, व्यापक और समर्पित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

कार्यक्रम के घटक:

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) घटक: जिला अस्पतालों (डीएच), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी), उप-केंद्र/स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के माध्यम से प्राथमिक-द्वितीयक देखभाल सेवा वितरण।
2. तृतीयक घटक (राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य योजना) ये सेवाएं 17 मेडिकल कॉलेजों और दो नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग (एनसीए) में स्थित क्षेत्रीय जराचिकित्सा केंद्रों (आरजीसी) के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, जो एक एम्स, अंसारी नगर, नई दिल्ली में और दूसरी मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में है।
3. अनुसंधान: भारत में एक अधोमुखी वृद्धावस्था अध्ययन (एलएएसआई) परियोजना: - एलएएसआई भारत में वृद्ध व्यक्तियों का एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस), मुंबई के माध्यम से किया जा रहा है।

सेवाओं का पैकेज: वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रावधान के लिए कार्यक्रम के दो घटक हैं: जिला/उप-जिला स्तर का घटक और तृतीयक स्तर का घटक। दोनों स्तरों पर वृद्धजनों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का पैकेज नीचे दिया गया है।

उप केंद्र:

क. स्वस्थ वृद्धावस्था, पर्यावरण संशोधन, पोषण संबंधी आवश्यकताओं, जीवन शैली और व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित **स्वास्थ्य शिक्षा**।

ख. **घर में सीमित/बिस्तर पर पड़े वृद्धजनों पर विशेष ध्यान देना** और दिव्यांग वृद्धजनों की देखभाल करने के लिए परिवार स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: एक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी (एमओ) द्वारा **साप्ताहिक जराचिकित्सा क्लिनिक**। सेवाओं में शामिल होंगे: वृद्धजनों का **स्वास्थ्य मूल्यांकन** करना और बल्डशुगर सहित सरल जांच करना, आदि।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

क. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रशिक्षित स्टाफ और पुनर्वास कार्यकर्ता द्वारा **सप्ताह में दो बार जराचिकित्सा क्लिनिक और पुनर्वास सेवाओं** की व्यवस्था की जाएगी।

ख. **शय्याग्रस्त** वृद्धजनों के लिए पुनर्वास कार्यकर्ता द्वारा घर का दौरा किया जाएगा और ऐसे रोगियों की देखभाल के लिए परिवार के सदस्यों को परामर्श दिया जाएगा।

जिला अस्पताल:

क. समर्पित वृद्धावस्था ओपीडी सेवाएं, 10 बिस्तरों वाले वृद्धावस्था वार्ड के माध्यम से इन-डोर दाखिला, प्रयोगशाला जांच और पुनर्वास सेवाएं।

ख. सीएचसी/पीएचसी आदि द्वारा रेफर किए गए वृद्ध रोगियों के लिए सेवाएं प्रदान करना और गंभीर मामलों को तृतीयक स्तर के अस्पतालों में रेफर करना।

तृतीयक स्तर

(क) क्षेत्रीय वृद्धावस्था केंद्र:

क. मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और नीचे से रेफर किए गए **जटिल/गंभीर वृद्धावस्था मामलों के लिए तृतीयक स्तर की सेवाएं** प्रदान करना।

ख. **जेरियाट्रिक मेडिसिन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम** संचालित करना। प्रत्येक आरजीसी हर वर्ष 2 स्नातकोत्तर (एमडी जराचिकित्सा) तैयार करेगा।

ग. चिन्हित जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के प्रशिक्षकों को **प्रशिक्षण** प्रदान करना

घ. प्रशिक्षण मॉड्यूल, दिशानिर्देश और **आईईसी सामग्री** तैयार करना/और अद्यतन करना।

ङ. विशिष्ट वृद्धजन रोगों पर **शोध**।

(ख) नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग

क. चिकित्सा और शल्य चिकित्सा विषयों से जुड़े **बहु-विषयक नैदानिक सेवाओं** के साथ उच्च स्तरीय तृतीयक देखभाल।

ख. विभिन्न नैदानिक विषयों में **विशेष ओपीडी देखभाल**। मेमोरी क्लिनिक, फॉल एंड सिंकोप क्लिनिक, कमजोर वृद्धजन क्लिनिक, सहायता और उपकरण क्लिनिक, प्रत्यारोपण और कॉस्मेटिक क्लिनिक जैसे विशेष क्लीनिक।

ग. **डे केयर सेंटर**: जांच, पुनर्वास, राहत देखभाल, मनोभ्रंश देखभाल, सतत देखभाल के लिए

घ. **भर्ती रोगी की देखभाल के लिए**: गहन देखभाल, एक्यूट पुनर्वास, नैदानिक और चिकित्सीय सेवाएं, दीर्घकालिक पुनर्वास सेवा।

ङ. **वृद्धावस्था चिकित्सा की सभी उप-विशिष्टताओं में मानव संसाधन विकास**

च. देश में प्रचलित वृद्धावस्था रोगों के लिए **साक्ष्य आधारित उपचार प्रोटोकॉल** तैयार करना।

अनुलग्नक-III

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2885 जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ङ) में संदर्भित अनुलग्नक

एनएसएपी कार्यक्रम के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) से संबंधित वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों और एनएसएपी दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वालों के लिए, पेंशन के रूप में 200/- रुपये से 500/- रुपये प्रति माह तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और ऐसे परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, शोक संतप्त परिवार को 20,000/- रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत एक घटक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत 60-79 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को 200/- रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 500/- रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है।

अनुलग्नक-IV

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2885 जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ङ) में संदर्भित अनुलग्नक

वित्तीय सेवाएं विभाग अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसकी शुरुआत 09.05.2015 को सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से की गई थी। यह योजना 18-40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिनका किसी बैंक या डाकघर में बचत खाता हो। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बेहतर तरीके से गारंटीकृत पेंशन प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, इसके लिए आयकरदाता 01.10.2022 से एपीवाई में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। एपीवाई के अंतर्गत सब्सक्राइबर को चुनी गई पेंशन राशि और योजना में शामिल होने की आयु के आधार पर निर्धारित राशि का मासिक/तिमाही/छमाही अंशदान करना आवश्यक है। सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक, चुने गए अंशदान के आधार पर, 1000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह, 3000 रुपये प्रति माह, 4000 रुपये प्रति माह या 5000 रुपये प्रति माह की सरकार द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन मिलेगी। सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद, उसका/उसकी जीवनसाथी सब्सक्राइबर के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा/होगी। सब्सक्राइबर और उसके/उसकी जीवनसाथी दोनों की मृत्यु के बाद, सब्सक्राइबर का/की नामित व्यक्ति, सब्सक्राइबर की 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा/होगी। योजना के अनुसार, सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन लाभ प्राप्त होगा।

अनुलग्नक-V

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2885 जिसका उत्तर दिनांक 10.03.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) में संदर्भित अनुलग्नक

(I) आईपीएसआरसी: देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुलिस सेवा आयोग के अंतर्गत जारी की गई निधियों (देश-वार) और सेवा प्रदान किए गए लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है -

वित्तीय वर्ष	जारी की गई निधियां (रुपये करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
2022-23	72.31	87745
2023-24	118.95	157820
2024-25	125.42	152430

हिमाचल प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों (जिला-वार) और आईपीएसआरसी के तहत सेवा प्रदान किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा निम्नानुसार है -

वित्तीय वर्ष	शिमला		बिलासपुर	
	जारी की गई निधियां (रुपये करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई धनराशि (रुपये करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
2022-23	0.20	25	0.028	25
2023-24	0.22	25	0.046	25
2024-25	0.18	25	0.16	25

(II) आरवीवाई: देश भर में आरवीवाई के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 3,14,777 लाभार्थियों को सेवा प्रदान की गई है और 272.71 करोड़ रुपये की राशि के उपकरण वितरित किए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य में आरवीवाई के तहत कुल 1655 लाभार्थियों को सेवा प्रदान की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवा प्रदान किए गए लाभार्थियों का जिलावार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	जिले का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1	बिलासपुर	160
2	चंबा	35
3	हमीरपुर	0
4	कांगड़ा	20
5	किन्नौर	0
6	कुल्लू	0
7	लाहुल और स्पीति	0
8	मंडी	1420
9	शिमला	4
10	सिरमौर	0
11	सोलन	7
12	ऊना	9

*****